FORM - III

अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अजायब सिंह बनाम गुरनेक सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 6 सन 2019

मिसल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.19	प्रार्थी अजायब सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्री करणपुर जिला गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह सिह के द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 1 एक्स के खाता संख्या 5/4 के मु.न. 8 में 2.581 हैक्टर नहरी भूमि व मु.न. 67 में 2.152 हैक्टर नहरी भूमि, मु.न. 117/82 में 0.051 हैक्टर खाल भूमि कुल 4.784 हैक्टर नहरी मय खाल भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण या अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें कोई प्रभावी आदेश प्रार्थी को सुने बिना नही दिया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्र्ट्रड नोटिस तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। (…मीना) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	
31/10/19	पत्रावली पेश हुई। कैवियट प्रार्थना पत्र को 90 दिवस से ऊपर का समय हो चुका है। अब इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 CPC इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते